

प्रमाणित
10/03/13
01/02/13
16-4

मुद्रांकित हेतु प्रारूप-८२

पत्रांक: 3/एफ2-140-ले0 नि0-02/2011 2092

बिहार सरकार

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

प्रेषक,

नवीन कुमार मिश्र
संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

सेवा में,

सहायक आयुक्त उत्पाद
पटना।

पटना, दिनांक:- 16-4-12

विषय:- सर्वश्री बकार्डी इंडिया प्रा0 लि0, 3 के0 एम0 स्टोन, चामराज नगर रोड ननजन गुड मैसूर, कर्नाटक के लेबुल को बिहार राज्य के सैन्य बलों के कैन्टीन में बिक्री/आपूर्ति हेतु वर्ष 2012-2013 के लिए नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 863 दिनांक 21.3.2012 के प्रसंग में निदेशानुसार सूचित करना है सर्वश्री बकार्डी इंडिया प्रा0 लि0, 3 के0 एम0 स्टोन, चामराज नगर रोड ननजन गुड मैसूर, कर्नाटक के द्वारा नवीकरण हेतु आवेदित भारत निर्मित विदेशी शराब के निम्नलिखित लेबुल को आयुक्त उत्पाद, बिहार के आदेश से वर्ष 2012-13 के लिए नवीकृत किया जाता है :-

क्र0	ब्राण्ड/लेबुल का नाम	मात्रा (एम0 एल0 में)	पूर्व का निबंधन सं0 एवं वर्ष	वर्ष 2012-13 के लिए नवीकरण संख्या एवं वर्ष
1	बकार्डी सुपीरीयर रम	750	436/11-12	436/12-13
2	इरिस्टौफ ट्रीपल डिस्टील्ड प्रिमीयम बोदका	750	510/11-12	510/12-13
3	बकार्डी लिमोन ओरिजनल साइट्रस रम	750	511/11-12	511/12-13

शर्तें :-

- उपरोक्त लेबुल को व्यवहार में लाये जाने की मान्यता अवधि दिनांक 31.03.2013 तक रहेगी। लेबुल को व्यवहार में लाये जाने के पूर्व वर्ष 2012-13 के लिए नवीकृत लेबुल पर निबंधन/नवीकरण संख्या एवं वर्ष अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा।
- वार्षिक संभावित बिक्री से अधिक बिक्री होने पर नवीकरण शुल्क के अगले स्लेव के आधार पर अंतर की राशि को जमा करना होगा।
- लेबुल पर वैधानिक चेतावनी "ड्रीकिंग लीकर इज इन्ज्युरियस टू हेल्थ" लाल सुस्पष्ट अक्षरों में अंकित करना होगा।
- अन्य शर्तें एवं बंधेज पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विश्वासभाजन,

(नवीन कुमार मिश्र)
संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 3/एफ2-140-ले0 नि0-02/2011

2092

पटना, दिनांक:- 16-4-18

प्रतिलिपि :-सभी उपायुक्त उत्पाद/सभी सहायक आयुक्त उत्पाद/सभी अधीक्षक उत्पाद/सी0 एस0 डी0
रामगढ़ झारखंड/प्राधिकृत प्रतिनिधि, सर्वश्री बकार्डी इंडिया प्रा0 लि0, 3 के0 एम0 स्टोन, चामराज नगर रोड
ननजन गुड मैसूर, कर्नाटक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।